भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1473 का उत्तर

प्लेटफॉर्म की ऊँचाई

1473. सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रतिबद्धता के बावजूद, प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों को रेलगाड़ी के दरवाजों के स्तर तक नहीं उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी के दरवाजे और प्लेटफार्म के बीच का यह अंतर दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्मों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) बच्चों और वृद्ध यात्रियों की सुरक्षा हेतु कोच के दरवाजे तक प्लेटफॉर्म की ऊँचाई को बढ़ाने हेतु क्या कार्ययोजना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

प्लेटफॉर्म की ऊँचाई के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में सुश्री मिमी चक्रवर्ती के अतारांकित प्रश्न सं. 1473 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): विभिन्न कोटि के स्टेशनों में लंबाई-चौड़ाई की निर्धारित सूची के अनुसार विभिन्न ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्मों जैसे पटरी की ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं। रेलवे का प्रयास है कि स्टेशन की कोटि के अनुसार लंबाई-चौड़ाई की निर्धारित सूची के अनुरूप उचित ऊंचाई का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। प्लेटफॉर्मों और सवारी डिब्बे की सतह के बीच की दूरी दुर्घटना का कारण नहीं बनेगी, यदि यात्री गाड़ी के रुकने के बाद ही गाड़ी में चढ़ें/उतरें। बहरहाल, इससे यात्रियों को असुविधा होती है क्योंकि वे चलती गाड़ी में चढ़ने/उतरने करने की कोशिश करते हैं।

(घ): ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) संरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2018 में रेल मंत्रालय ने न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के मानदंडों में संशोधन किया है और बड़ी लाइन पर अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय किया है चाहे किसी भी कोटि का स्टेशन हो, जो पहले नहीं होता था, क्योंकि केवल पूर्ववर्ती 'ए1', 'ए' और 'सी' कोटि के स्टेशनों पर अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए थे। बहरहाल, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशन पर उच्चतर कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाएगी और अब से, प्लेटफॉर्म को मध्यम ऊंचाई तक बढ़ाने का कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। पटरी की ऊंचाई/निम्न ऊंचाई से प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सभी मौजूदा स्वीकृत कार्य अधिक ऊंचाई बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2018-19 में, रेल मंत्रालय ने भी संरक्षा संबंधी उपाय के तौर पर "स्टेशनों पर उपरि पैदल पुलों और/या अधिक ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्मों के प्रावधान" के लिए 6200 करोड़ रुपये के समेकित कार्यों को मंजूरी दे दी है।

(ii) रेलवे स्टेशनों पर यात्री उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित उद्घोषणाएं की जाती हैं जिसमें यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे चलती रेलगाड़ियों में न तो चढ़ें और न ही उतरें।

(iii) रेलवे द्वारा यात्रियों को चलती रेलगाड़ियों में चढ़ने/उतरने और फुट-बोर्ड/छत पर यात्रा करने आदि के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है।

(iv) गाड़ियों के फुट-बोर्ड और छत पर यात्रा करने वाले, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं। पकड़े गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

(v) रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 में मुंबई उपनगरीय खंड में यात्री प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई 760-840 मिमी से बढ़ाकर 840-920 मिमी करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने का काम कर लिया गया है। सवारी डिब्बे की सतह और प्लेटफॉर्मों के बीच वर्टिकल गैप

को कम करने के लिए, प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मुंबई उपनगरीय खंड में यात्री प्लेटफॉर्मों की पहचान की गई थी, जिसमें मध्य रेलवे पर 83 प्लेटफॉर्म और पश्चिम रेलवे पर 168 प्लेटफॉर्म (चर्चगेट-विरार खंड पर 145 प्लेटफॉर्म और विरार-दहानू रोड खंड पर 23 प्लेटफॉर्म) शामिल हैं। सभी प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है, सिवाय सायन, माटुंगा और माहिम रेलवे स्टेशनों के 4 प्लेटफॉर्मों को छोड़कर, जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई जानी है, क्योंकि पांचवीं और छठी लाइन के निष्पादन की परियोजना के संबंध में इन्हें खत्म करने की योजना बनाई गई है ।

****